



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022021-225122
CG-DL-E-12022021-225122

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 600]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 12, 2021/माघ 23, 1942

No. 600]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 12, 2021/MAGHA 23, 1942

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2021.

का.आ. 654(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 419 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1935(अ), तारीख 1 जून, 2016 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम संख्यांक 2 के सामने, स्तंभ संख्यांक (4) में, मद (3) और मद (4) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(3) दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र”;

(ii) क्रम संख्यांक 5 के सामने, स्तंभ संख्यांक (4) में, मद (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“2(क) जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र ।

2(ख) लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र ।”।

[फा. सं. ए-45011/84/2020/प्रशा.IV]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1935(अ), तारीख 1 जून, 2016 में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक का.आ. 345(अ), तारीख 3 फरवरी, 2017, संख्यांक का.आ. 3145(अ), तारीख 28 जून, 2018, संख्यांक का.आ. 3430(अ), तारीख 12 जुलाई, 2018, संख्यांक 3683(अ), तारीख 27 जुलाई, 2018 और संख्यांक का.आ. 1216(अ), तारीख 8 मार्च, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2021

S.O. 654(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 419 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs number S.O. 1935 (E), dated the 1st June, 2016, namely:-

2. In the said notification, in the Table,-

(i) against serial number 2, in column number (4), for items (3) and (4) and the entries relating thereto, the following items and entries shall be substituted namely:-

“(3) Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.”;

(ii) against serial number 5, in column number (4), for item (2) and the entry relating thereto, the following items and entries shall be substituted namely:-

“(2a) Union territory of Jammu and Kashmir.

(2b) Union territory of Ladakh.”.

[F. No. A-45011/84/2020-Ad.IV]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1935(E), dated the 1st June, 2016 and subsequently amended vide number S.O. 345(E), dated the 3rd February, 2017, number S.O. 3145(E), dated the 28th June, 2018, number S.O. 3430(E), dated the 12th July, 2018, number S.O. 3683(E), dated the 27th July, 2018 and number S.O. 1216(E), dated the 8th March, 2019.